[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड

अधिसूचना सं 34/2020- केन्द्रीय कर

नई दिल्ली, तारीख 3 अप्रैल, 2020

सा॰ का॰नि॰............ (अ)- सरकार, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम 2017 (2017 का 12) (जिसे इसके पश्चात इस अधिसूचना में उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों पर, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं॰ 21/2019-केन्द्रीय कर, दिनांक 23 अप्रैल, 2019, जिसे सा.का.नि. 322 (अ), दिनांक 23 अप्रैल, 2019 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में,-

(i) दूसरे अनुच्छेद में निम्न परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"परंतु उक्त व्यक्ति 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाली तिमाही के लिए केन्द्रीय माल और सेवा कर नियम 2017 के तहत प्ररूप **जीएसटी सीएमपी-08** में एक ब्यौरा, जिसमें स्व-आकलित कर के भुगतान का विवरण होगा, जुलाई 2020 के 7 वें दिन तक प्रस्तुत करेंगे ।" ;

(ii) तृतीए अनुच्छेद में निम्न परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"परंतु उक्त व्यक्ति 31 मार्च 2020 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष की विवरणी केन्द्रीय माल और सेवा कर नियम 2017 के **प्ररूप जीएसटीआर-4** में जुलाई 2020 के 15 वें दिन तक प्रस्तुत करेंगे ।" ।

[फा.सं.-सीबीईसी-20/06/04/2020-जीएसटी]

(प्रमोद कुमार)

निदेशक, भारत सरकार

नोट: मूल अधिसूचना सं॰ 21/2019- केन्द्रीय कर, दिनांक 23 अप्रैल, 2019, सा.का.नि. 322 (अ), दिनांक 23 अप्रैल, 2019 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसे बाद में अधिसूचना सं॰ 74/2019- केन्द्रीय कर, दिनांक 26 दिसम्बर, 2019, जिसे सा.का.नि. 953(अ), दिनांक 26 दिसम्बर, 2019 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, से संशोधित किया गया था।